

नोट्स:- नोट्स

चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

सू.जे. दुर्ग, न्यू धर्मनगर
जिला-जिला एवं क्लाउड फ़िल्म्स

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 01.04.2024 से 31.03.2027



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / १६७५ / मायता / २०२५

प्रति,
प्रबंधक,
मेरी खेड़ी एवं अभियांत्रिक
लोकांची अभियांत्रिक

दुर्ग, दिनांक .23.01.24

विषय : निःशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिविषयम् 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विषयम्, 2009 के विषयम् 11 के उप-विषयम् (4) के अधीन विद्यालय के लिए मायता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख .०२.०१.२०२५ के संदर्भ में और हस संबंध में विद्यालय के साथ पञ्चांतरवार्ता प्रबाचार/विरीष्मण के उपरांत मैं रुमा.पी.स्ट्रॉड.न्यू.सिपैस्ट्रॉड.पी.वर्टा.लिट्का. विद्यालय का नाम पता संहित (को) तारीख .०१.०१.२०२५ ने .११.०३.२०२५ के... तक तीन बर्षों की प्रवृत्ति के लिए कठान्हालिंगी... ने .०१.०१.२०२५ के... तक मायता प्रमाण-पत्र... के लिए अवंतिम मायता प्रदान करने की संमूचता देता है।

उपरोक्त स्वीकृत विद्यालयित जातों के पूरा किये जाने के अध्यार्थीव हैं:-

1. मायता की स्वीकृत विद्यालयीय वर्षों हैं और उसमें किसी भी हाप में कठां आठवीं के पञ्चांतर मायता/संघटन करने के लिए कोई बाध्यता विवरित वर्षों हैं।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिविषयम् 2009 (परिजिल-एक) और निःशुल्क और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विषयम् 2009 (परिजिल-दो) के उपरंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कठाएक में (या विद्यार्थित वर्षीय कठाए) उस कठाए में बच्चों की संख्या के ...३५..... प्रतिशत तक आप-पढ़ोम के कमज़ोर वर्षों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेज प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अविवार्य प्राप्तमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपरब्द कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राप्तमिक कठाओं के मायते में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. विषयम् ०३ में विद्यालयीय वर्षों को अधिविषयम् की धारा 12 (२) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक बंड काता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी केंद्रियम निःशुल्क का संग्रहण वर्षों करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्वीकृतिग प्रक्रिया के अध्यार्थीन वर्षों करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आपु का सबूत न होने के कारण प्रवेज देने से इंकार वर्षों करेगा और वह अधिविषयम् की धारा १५ के उपरंधो का पालन करेगा। विद्यालय विद्यालयित सुविश्वित करेगा:-
- प्रवेज दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राप्तमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कठाए में फेल वर्षों किया जायेगा या उसे विद्यालय से विद्यालयित वर्षों किया जायेगा।
- दो सीन चार किसी भी बच्चे को जारीरीक उत्तीर्ण के अध्यार्थीव वर्षों किया जायेगा।
- प्राप्तमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोई परीका उत्तीर्ण करने की अपेक्षा वर्षों की जायेगी।
- प्राप्तमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रवेज बच्चों को विषयम् २५ के अधीन अधिविषयम् किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिविषयम् के उपरंधो 'च' के अनुसार निःशुल्क/विद्यार्थी आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेज दिया जायेगा।

इ: अध्यापकों की भर्ती अधिविषयम् की धारा 23(1) के अधीन पथ्य अधिविषयम् अनुसार अहतावों के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यालय अध्यापक जिवाप: पास हस अधिविषयम् के प्रारंभ पर बूजतम अहताएं वहाँ हैं, ०५ वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी बूजतम योग्यताएं अवित करेंगे।

सात अध्यापक अधिविषयम् की धारा 24 (1) के अधीन विविदित अपवेक्षितवारों का पालन करेंगे, और अध्यापक अधिविषयम् को किसी विद्यालय क्रियाकलापों में विद्योवित वर्षों करेंगे।

८. ७. विद्यालय सम्बूद्धित प्राधिकारी द्वारा अधिविषयम् पाठ्यपत्रवारों के आधार पर पाठ्यपत्रम् का पालन करेगा। अंतिम विद्यालय अधिविषयम् की धारा १९ में पथ्यविविदित विद्यालय के मानकों और संविधानों को व्यवाय रखेगा।

विद्यालय के समय रिपोर्ट की गई बूजविधाएं विद्यालयित विद्यालयित विद्यालयित हैं:-

०५ लाल	३०००० रुपीय
नियंत्री	२४ करोट ११ लल
०२	११/३ + २५/६
८	८५८८८ रुपीय लाल
८	८

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा बोल्डकूल के उपस्कारों/पृष्ठकालय की उपलब्धता :

९. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के बाम से कोई गैर मायता प्राप्त कठाएं वहाँ चलाई जायेगी।

१०. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थानों का प्रयोग बेवर शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

११. विद्यालय की सोसायटी रजिस्टरीकरण अधिविषयम् १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्टरीकूल किसी सोसायटी द्वारा या तत्त्वमय प्रबुत किसी विधि के अधीन राइट किसी लोकव्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

१२. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये वर्षों चलाया जा रहा है।

१३. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा समपरीका की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, विवरों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष विद्या अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

१४. आपके विद्यालय को आवंटित मायता कोड संख्यांक .१०२/२५/२५.... है। कृपया इसे बोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी विवाचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

१५. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा विदेशक/शिक्षा शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्वास्थ्य प्राधिकारी के ऐसे निवेदियों का पालन करेगा जो मायता संबंधी वर्षों के मत्तु अनुपालन को सुविश्वित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

१६. सोसायटी के रजिस्टरीकरण के वर्दीवीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

१७. संसाधन परिजिल तीनों के अनुसार अन्य कोई वर्ष है।